

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर।

क्रमांक :- प्र०(१) कार्मिक / नि.चि. / ३१/०७/७४४

दिनांक :- १३/०६/०७

कार्यालय—आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम १९७० के अन्तर्गत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये निम्नलिखित चिकित्सालयों को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता दी जाती है। निम्न चिकित्सालयों द्वारा इन्डोर पेशेंट पर १० प्रतिशत तथा जॉर्चों पर २० प्रतिशत की छूट देय होगी।

१. अमर मेडिकल एण्ड रिसर्च सेंटर., किरण पथ, मानसरोवर, जयपुर।
२. अग्रवाल डेन्टल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, ३/१०५, जवाहर नगर, जयपुर
३. पाण्डया हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर प्रा.लि., जे-२/३७, महावीर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।
४. पारदया मेमोरियल हॉस्पिटल, संत कुठीर, सॉगानेर, जयपुर।

उक्त आदेश को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मंडल के निर्णय की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।

८१

१३/६

सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु :-

१. प्रमुख निजी सचिव—अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/ मुख्य अभियंता—प्रथम/द्वितीय राज०आ०मण्डल, जयपुर।
२. व०नि०स०—सचिव/वि०स० एवं मुख्यलेखाधिकारी, राज०आ०मण्डल, जयपुर।
३. अति० मुख्य अभियंता राज०आ०मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
४. उप आवासन आयुक्त वृत्..... रा०आ०म०।
५. आवासीय अभियंता खण्ड..... रा०आ०म०।
६. संबंधित हास्पिटल.....।
७. विशेषाधिकारी—अध्यक्ष, रा.आ.म., जयपुर।
८. समर्त प्रकोष्ठ मुख्यालय..... राज०आ०मण्डल, जयपुर।
९. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली

९

१३/६

सचिव